जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 105वीं बैठक दिनांक 14.6.2006 का कार्यवाही विवरण ।

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
1.	105.1	कार्यकारी समिति की 104वीं बैठक दिनांक 3.5.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।	विचार विमर्श पश्चात् कार्यकारी समिति की 104वीं बैठक मे लिये गये निर्णयों की अनुपालना की पुष्टि की गई है।		
2.	105.2	जोन –9 की आरक्षित दर निर्धारित करने बाबत	विचार विमर्श पश्चात जोन 9 की सशोधित आरक्षित दर प्रस्तावनुसार आवासीय रू 3300/– व्यावसायिक रू. 6600/– संस्थानिक रू. 4125/– प्रति वर्गमीटर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं स. नि.)	
3.	105.3	जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धरा–72 में दर्ज मुकदमे वापस लिये जाने बाबत। जैम्य कालोनी– जैम्स बगीची विकास समिति ।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना के नियमन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात प्रकरण वापिस लिये जावें। उपायुक्त जोन 2 को निर्देश दिये जाते है कि योजना के नियमन की कार्यवाही नियमानुसार 45 दिवस मे की जावें ।	उपायुक्त जोन–2	
4.	105.4	जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धरा–72 मे दर्ज मुकदमे वापस लिये जाने बाबत। जैम्य कालोनी तोपखानादेश गृह निर्माण सहकारी समिति ।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना के नियमन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात प्रकरण वापिस लिये जावे। उपायुक्त जोन 2 को निर्देश दिये जाते है कि योजना के नियमन की कार्यवाही नियमानुसार 45 दिवस मे की जावे ।	उपायुक्त जोन–2	
5.	105.5	जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धरा–72 मे दर्ज मुकदमे वापस लिये जाने बाबत। स्कीम न.–2 (विवेकानन्द कालोनी), मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति ।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना के नियमन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात प्रकरण वापिस लिये जावे। उपायुक्त जोन 2 को निर्देश दिये जाते है कि योजना के नियमन की कार्यवाही नियमानुसार 45 दिवस मे की जावे ।	उपायुक्त जोन–2	
6.	105.6	दिल्ली रोड पर ग्राम गुणावता मे जविप्रा द्वारा प्रस्तावित की गई गुणावता एकीकृत आवासीय योजना को दिल्ली रोड से जोडने के लिये प्रस्तावित की गई 160 फीट रोड से प्रभावित खातेदारो / हितधारियो को जविप्रा अधिनियम 1982 की धरा 44 के तहत समझौते के आधार पर ली गई भूमि के लिए मुआवजे के रूप मे विकसित भूखण्डो की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया की सड़क सीमा मे आ रही कृषि भूमि के बदले विकसित 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक इसी योजना मे राज्य सरकार के नियम के अनुसार मुआवजे के बदले आवंटन किया जावे। रोड मे आने वाली आबादी भूमि के बदले बराबर विकसित भुखण्ड अथवा प्रचलित आरक्षित दर से (प्रभावित व्यक्ति से विकल्प लेकर) मुआवजा दिया जावे। इस हेतु प्रकरण बनाकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावें। साथ ही रोड सीमा मे आने वाले कुआं/ टयुबवेल का मुआवजा प्रचलित डीएलसी दर से तथा स्ट्रेक्चर/निर्माण/पेड पौधो का मुआवजा प्रचलित बीएसआर दर से दिया जावे।	उपायुक्त जोन–12	

16/6/06

स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
7.	105.7	सीकर रोड पर सृजित की गई आनद लोक आवासीय योजना को सीकर रोड से जोडने हेतु प्रस्तावित 100 फीट से प्रभावित निजी खातेदारो/ हितधारियो को जविप्रा अधिनियम 1982 की धरा 44 के तहत समर्पित भूमि के बदले विकसित भूखण्ड दिये जाने का अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया की सडक सीमा मे आ रही कृषि भूमि के बदले विकसित 20 प्रतिशत आवासीय एव 5 प्रतिशत व्यावसायिक इसी योजना मे राज्य सरकार के आदेशो के अनुसार मुआवजे के बदले आवटन किया जावे। साथ ही रोड सीमा मे आने वाले कुआ/ ट्यूबवेल का मुआवजा प्रचलित डीएलसी दर से तथा स्ट्रेक्चर/निर्माण/पेड पौधो का मुआवजा प्रचलित बीएसआर दर से दिया जावें।	उपायुक्त जोन–12	
8.	105.8	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र मे स्थिर राजस्व ग्राम अचरोल, तह. आमेर, के खसरा न. 595 रकबा 3.66 हैक्टयर व खसरा नं. 2645 रकबा 6.89 हैक्टयर, कुल 10.55 हैक्टयर भूमि मे से सडक की 53276.59 वर्ग मीटर भूमि कम करते हुये जयपुर विकास प्राधिकरण की शेष 52223.41 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल क्षेत्र से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ की स्वीकृति बाबत ।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण मे कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन–12	
9.	105.9	जविप्रा की पार्थनगर आवासीयय योजना की आरक्षित दर की स्वीकृति हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण मे कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन–11	
10.	105.10	मत्रालयिक संवर्ग की स्टेन्थ निर्धारण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात मत्रालयिक संवर्ग की स्ट्रेन्थ निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई एवं सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
11.	105.11	क्रमोन्नत पदो के संबंध मे ।	विचार विमर्श पश्चात पूर्व मे कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय की स्वीकृति बाबत प्रकरण पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
12.	105.12	श्री जगरूप सिंह यादव, अतिरिक्त आयुक्त को आवंटित आवास सं. ए–3, लालकोठी, जयपुर के नियमितकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि श्री यादव के नाम आवंटित आवास ए–3 लालाकोठी को यथावत रखते हुए प्राधिकरण से अनंयत्र पदस्थापन अवधि का नियमितिकरण कर नियमानुसार किराया राशि वसुल की जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
13.	105.13	जोन–11 के क्षेत्राधिकार में आने वाले कृषि क्षेत्र में निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता की कृषि भूमि पर प्रस्तावित आवासीय/पेटोल पम्प/ व्यायसायिक एवं औधोगिक (मिश्रीत)/ ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के अनुमोदन के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तुत 8 प्रकरणों को अनुमोदन/ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन –11	

16/6/06

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
14	105.14	जगतपुरा रेलवे ओवर ब्रिज के पास ग्रुप हाउ भूखण्ड की राशि देरी से जमा कराने के कारण ब्याज राशि रूपये 11,50,685/– क्रेता से वसुली जावे अथवा नही के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात अति. निदेशक (राजस्व एव स.नि.) द्वारा बैठक मे दिये प्रस्तावनुसार यह निर्णय लिया गया कि क्रेता की गलती नही होने के कारण ब्याज राशि नही ली जाकर भूखण्ड का नियमितिकरण किया जावे।	अति. निदेशक (राजस्व एव स.नि.)	
15.	105.15	Approved of rates on hiring of service in J.D.A.	विचार विमर्श पश्चात प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया परन्तु इस हेतु अधिकतम भुगतान की राशि रू. 8000/– प्रतिमाह रखे जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
16	105.16	ज्योति नगर योजना के भूखण्ड सं. 1,2,3 के संबंध मे जविप्रा द्वारा दायर रिट याचिकाओ को वापिस लेने के संबंध मे।	विचार विमर्श पश्चात भुमि एवं सम्पति समिति की 23 वी बैटक दि. 23.11.06 मे लिये गये निर्णयो को उचित मानते हुए प्रकरणो मे दर्ज की गई याचिकाओं को वापिस लिये जानें के भुमि एवं सम्पति समिति के निर्णय की पुष्टि की गई।	उपायुक्त जोन–3	
17.	105.17	जविप्रा क्षेत्र मे स्थित राजस्व ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के खसरा न. 594/2 मे से 5 बीघा भूमि का भू उपयोग आवासीय से सरकारी एवं अर्द्धसरकारी किए जाने के संबंध मे।	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण का अनुमोदन किया गया एवं आवेदित भूमि का क्षेत्रफल एक हजार वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक आयोजना	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की स्वीकृति से **Supplementary Agenda**					
18.	105.17 (S-1)	Approval of tenders for work of widening of existing 2 lane Bridge to 4 lane on Amanishah Ka Nallah at Sanganer Town.	विचार विमर्श पश्चात जोनल अभियन्ता–8 के प्रस्तावनुसार मैसर्स हरीशचन्द (इण्डिया) लि. की दर नोन बीएसआर आइटम दर रूपये 4,41,81,669.08/– एवं बीएसआर आइटम दर @54.69% अधिक रूपये 5,56,472.22/– कुल राशि रूपये 44738141.30/– स्वीकृत की गई।	Zonal Engineer-8	
19.	105.17 (S-2)	Approval of tenders for work of Construction of Multi Level Parking in JDA office campus Jaipu.r	विचार विमर्श पश्चात जोनल अभियन्ता–4 के प्रस्तावनुसार मैसर्स एल. एन. अग्रवाल की दर पार्ट ए @21.87% अधिक बीएसआर, पार्ट बी रूपये @60/– प्रति वर्गमीटर एवं पार्ट सी @11.61% अधिक बीएसआर पर कुल राशि रूपये 7,36,35,370.00 बिना किसी शर्त के स्वीकृत की गई।	Zonal Engineer-4	
20.	105.17 (S-3)	निदेशक स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन विभाग को आवंटित भूमि की नजराना राशि पर देय ब्याज व पेनल्टी के सम्बन्ध मे ।	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण का अनुमोदन किया गया एंव ब्याज व पैनल्टी माफ करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।	उपायुक्त जोन–1	
21.	105.17 (S-4)	Tender for construction of SR, CWR, P/L & Jointing of Pipe line, pumping machinery and other civil workes & O&M of Water Supply Scheme Surajpura Dairy.	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में जोनल अभियन्ता (पीएचई–1) के प्रस्तावनुसार प्रकरण का अनुमोदन किया गया जोनल अभियन्ता (पीएचई–1) समस्त अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार समीक्षा करकें करगें।	जोनल अभियन्ता (पीएचई–1)	

सचिव 16/6/07

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 105वी बैठक दिनांक 14.6.06 को दोपहर बाद 2.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में डी. बी. गुप्ता, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1.	श्री डी. बी. गुप्ता	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री प्रीतम सिंह	प्रबन्ध निदेशक	आर. एस. आर. टी. सी. जयपुर	सदस्य
3.	श्री एच.आर.कुड़ी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एस. सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री एस.के.पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री एस.सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री हनुमान सिंह भाटी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8.	श्री विनोद अजमेरा	सलाहाकार	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त	जयपुर नगर-निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री के. जी. मितल	अधि.अभियन्ता जोन-प्रथम रोड	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री डी.पी. बंसल	अधि.एवं टी.ए. व एस.ई.	जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर सिटी सर्किल, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
12.	श्री आर.पी.श्रीवास्तव	अति.पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य के प्रतिनिधि
13.	श्री माधव शर्मा	सहा. अभियन्ता	आर.टी.डी.सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
14.	श्री श्रवण साहनी	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री लोकनाथ सोनी	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री यज्ञ मित्र सिंह देव	अति.आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री एम.एल.छाबडा	ओ.एस.डी.(आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री सुरेश सिघंल	अति. निदे. (आर एण्ड डीपी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री सुखवीर सैनी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री राजेन्द्र शर्मा	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री प्रभात गोस्वामी	पी.आर.ओ.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

16/6/06

सचिव,
जविप्रा, जयपुर।

356

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2006/(5)-6401 दिनांक: 16/6/06

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3.	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4.	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10.	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17.	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राभिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	उपायुक्त जोन............	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव 16/6/06